समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या–15 / 2016

झारखण्ड राज्य सरकार

–बनाम्–

आफताब आलम एवं अन्य

–::आदेश::–

29.12.2018 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संधारित कागजातों को अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, बोकारो के पत्रांक–4786 / अप0शा0, दिनांक–03.10.2016 के द्वारा चतरोचट्टी थाना काण्ड सं0–29 / 16 दिनांक–25.07.2016, धारा–11(i)k पशु क्रुरता अधिनियम 1960 तथा 12 झारखण्ड गौवंशीय हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005 के जप्त अवैध पशु लदा वाहन बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस सं0–JH-02AV-5310 के विरूद्ध धारा–12(iii) Bovine Act. के तहत राज्यसात करने हेतु अनुरोध किया गया है।

यह काण्ड वादी पूरन महतो पिता गोवर्धन महतो तत्कालीन मुखिया ग्राम हुरलुंग ग्राम नरकंडी थाना चतरोचट्टी जिला बोकारो के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 1. मकसुद अंसारी पिता याकुब अंसारी ग्राम चरनखिया एवं 2. मो0 अफताब आलम पिता मो0 कमालुद्दीन दोनो ग्राम नवादा पो0 नवादा थाना बिष्णुगढ़ जिला हजारीबाग के विरूद्ध गौ वशं को हत्या करने के उद्देश्य से ले जाते हुए पकड़े जाने के आरोप में धारा–11(i)k पशु क्रुरता अधिनियम 1960 तथा 12 झारखण्ड गौवंशीय हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध चतरोचट्टी थाना काण्ड सं0–29 / 16 दिनांक–25.07.2016 दर्ज किया गया।

उक्त के क्रम में राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सहायक लोक अभियोजक, बोकारो एवं द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

राज्य सरकार की ओर से विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा धारा–12(iii) Bovine Act. का उल्लेख करते हुए दलील दिया गया कि "Whenever a vehicle is found to have been used in transportation of Cattle or Beef contravening any provision of this Act, the Vehicle shall be forfeited to the State Government. इसके अतिरिक्त उनके द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रॉची के Cr. Revision No. 91

of 2014 (Md. Reyazuddin Versus The State of Jharkhand) का हवाला देते हुए यह भी कहा गया कि "There is no any provision regarding Confiscation in Bovine Act. Vehicle under this section can only be forfeited after finding of guilt of accused." अन्त में विद्व अधिवक्ता के द्वारा संदर्भित आवेदन को पुलिस अधीक्षक, बोकारो को वापस करने एवं उन्हें विधिवत रूप से अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु व्यवहार न्यायालय, बोकारो के समक्ष अनुरोध करने का निदेश देने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि आफताव आलम जप्त वाहन बोलेंरो मैक्सी ट्रक प्लस सं0–JH-02AV-5310 के मालिक है और उनके पास सभी वैध कागजात मौजूद है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि पशु व्यवसायी के द्वारा वैध मालिक से पशु खरीद कर ले जाया जा रहा था। प्रश्नगत वाहन व्यवसायिक है और विपक्षी के जीवन–यापन का मुख्य स्त्रोत है। वाहन पुलिस स्टेशन में खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है जिससे वह खराब हो रहा है। वाहन के जप्त रहने से उन्हें अपूर्णीय क्षति हो रही है। अन्त में उनके अधिवक्ता के द्वारा प्रश्नगत वाहन को मुक्त करने का अनुरोध करते हुए कहा गया कि पुलिस को जब भी कार्रवाई के दौरान उक्त वाहन की आवश्यकता होगी उसे अपने उत्तरदायित्व पर प्रस्तुत करेंगें। न्यायालय के संतुष्टि के लिए विपक्षी Indemnity Bond भी देने को तैयार है।

दोनो पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि धारा–12(III) Bovine Act. के अन्तर्गत वाहन को राज्यसात करने की शक्ति अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय को नहीं है।

वर्णित परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक, बोकारो के पत्रांक–4786/अप0शा0 दिनाक–03.10.2016 को वापस करते हुए निदेश दिया जाता है कि इस वाद पर विधिवत रूप से आवश्यक कार्रवाई हेतु व्यवहार न्यायालय, बोकारो के समक्ष आवेदन देगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करे।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता–सह जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।	29.12.18 समाहर्त्ता–सह जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

C. C. Issued Vide No. 57 Dated 15/01/20
C. C. Issued Vide No. 04 Dated 1/2/19

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.23 12:33:40 +05:30
Location: 192.168.91.234